चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(3). सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद चित्रकूट पुलिस ने 100% अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि चित्रकूट पुलिस की कार्यकुशलता, त्वरित निस्तारण और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है।
इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश श्री नवीन अरोरा द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का दायित्व निभा रहे कंप्यूटर ऑपरेटर श्री शरद यादव के कार्यों की प्रशंसा की गयी है। मुख्यालय द्वारा टीमवर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई और भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
सीसीटीएनएस क्या है?
सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी भी अपराध से संबंधित रिपोर्ट, विवेचना की अद्यतन स्थिति, आरोपियों की गिरफ्तारी, केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत होने तक की सभी आवश्यक कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शी, तीव्र और प्रभावी पुलिस कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है।
सीसीटीएनएस रैंकिंग में शामिल प्रमुख पोर्टल इन सभी पोर्टलों पर श्रेष्ठ फीडिंग, समयबद्ध अपलोडिंग तथा सतत मॉनिटरिंग के आधार पर जनपद चित्रकूट को पहला स्थान प्राप्त हुआ-
1.CCTNS Portal के IIF Forms
2. Training Certificate Portal
3.Pared Portal
4.Field Unit Portal
5.PG Portal
6.Foot Patrolling Portal
7.CRIMAC Portal
8.ICJS Portal
9.Crime Analytical Portal
10.NAFIS Portal
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल नेतृत्व में प्राप्त यह उपलब्धि जनपदीय पुलिस की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और त्वरित निस्तारण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(4). आज दिनाँक 30.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन,

सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 30.03.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2019 वैकल्पिक धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामप्रताप पुत्र कुनुआ 2. अभियुक्ता लक्ष्मीनिया पत्नी रामप्रताप निवासीगण भरकोर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.11.2019 को वादी श्री मुन्नीलाल पुत्र शिव बालक निवासी चौरा थाना पहाड़ी चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री मृतका प्रेमा से अतिरिक्त दहेज की मांग करना,दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना तथा मिट्टी का तेल डालकर जलाकर जान से मार देना। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 206/2019 धारा 498ए,304बी भादवि0 व 4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री विजयेन्द्र द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गई। विवेचना के क्रम में अभियुक्त रामप्रताप उपरोक्त व अभियुक्ता लक्ष्मीनिया उपरोक्त को दिनांक 29.06.2020 को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 11.07.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी श्री अश्विनी उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 30.03.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोटू सोनकर पुत्र राजबहादुर सोनकर निवासी हनुमान टोला थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।